बिहार सरकार

<u>लघु जल संसाधन विभाग</u>

-:: अधिसूचना ::-

अधि0सं0-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-04/2026 /पटना, दिनांक-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील सं0-54/2026(Arising out of SLP(C) No.-22323/2023) अभय कुमार पटेल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अन्य सदृश्य वाद में दिनांक-06.01.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-7ए/स0 अभि0(यॉत्रिक)-01-07/2020{12} लो0से0आ0/गो0, दिनांक-27.02.2026 द्वारा लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन विज्ञापन सं0-04/2019 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता(यॉत्रिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की संशोधित अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी । संशोधित अनुशंसा में नये चयनित 01(एक) उम्मीदवार के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन दिनांक-30.04.2026 को किया गया, जिसमें नये चयनित अभ्यर्थी उपस्थित हुए ।

2. दिनांक-30.04.2026 को प्रमाण-पत्रों के सत्यापन कार्यक्रम में उपस्थित निम्नलिखित अनुशंसित अभ्यर्थी को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-02 में सहायक अभियन्ता(यॉत्रिक) के पद पर पुनरीक्षित वेतन स्तर लेवल-9(53,100-1,67,800) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदेय भत्तों के साथ लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन सहायक अभियन्ता(यॉत्रिक) के रिक्त पद के विरूद्ध प्रभार/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है ।

क्र0 सं0	मेधा क्रमांक /अनुक्रमांक	अनुशंसित अभ्यर्थी का नाम/ जन्म तिथि/गृह जिला	पिता का नाम/ स्थायी पता	मूल कोटि /अनुशंसित कोटि	पदस्थापित कार्यालय का नाम	फोटो
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>09</u> 400995	अमरेश कुमार/ 03.05.1994/ पटना	श्री सूर्यदेव पंडित, ग्राम-रघुनाथपुर, पोस्ट-सैदाबाद, थाना-रानीतालाब, जिला-पटना, पिन कोड-801104	EBC	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, रक्सौल(मोतिहारी)	

(i) नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(यॉत्रिक) को मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ सहायक अभियन्ता(यॉत्रिक) के पद का वास्तविक कार्यभार/प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । प्रथम नियुक्ति-सह-पदस्थापन होने के कारण प्रभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा ।

(ii) यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथमदृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है । सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी ।

(iii) यह नियुक्ति अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी ।

(iv) यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि भविष्य में नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(यॉंत्रिक) के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है ।

(v) नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(यॉंत्रिक) को नियुक्ति-सह-पदस्थापन अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 01(एक) माह के अन्दर पदस्थापित कार्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर उनकी नियुक्ति समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी ।

(vi) वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार के सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों/निकायों में कार्यरत है, वैसे अभ्यर्थी का बिहार सरकार में नयी नियुक्ति के क्रम में बॉन्ड लिये जाने का प्रावधान नहीं है और बॉन्ड स्थानान्तरण का भी कोई प्रावधान नहीं है । संबंधी अभ्यर्थी पूर्व नियोक्ता से बॉन्ड का निपटारा कर ही विधिवत विरमित/तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकृत/त्याग-पत्र स्वीकृत कराकर पदस्थापन कार्यालय में योगदान समर्पित करेंगे ।

(vii) नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(यॉंत्रिक) की सेवा 01(एक) वर्ष तक परीक्ष्यमान अवधि में रहेगी । इस हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024(समय-समय पर यथासंशोधित) प्रभावी होगी ।

(viii) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768 पे0को0, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार उक्त नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(यॉंत्रिक) पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

(ix) प्रमाण-पत्रों की जॉंच के क्रम में कोई प्रमाण-पत्र यदि समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें तत्संबंधी प्रमाण-पत्र योगदान के पूर्व निश्चित रूप से समर्पित करना होगा ।

(x) यह नियुक्ति औपबंधिक है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष इस संदर्भ में किसी भी विचाराधीन वाद में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा ।

(xi) भविष्य में विभाग द्वारा नामित/प्राधिकृत Agency से बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा उपलब्ध कराये गये Biometric Data को सत्यापन कराये जाने के क्रम में Data Mismatch होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जायेगी ।

(xii) यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है तो तद्नुसार संशोधित किया जायेगा ।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(सुशांत कुमार)

सरकार के अपर सचिव ।

5

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनु0-यथोक्त ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- /पटना, दिनांक-

ई-मेल प्रतिलिपि- अभियन्ता प्रमुख/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी अधीक्षण अभियन्ता/सभी कार्यपालक अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/**स्पीड-पोस्ट-** श्री अमरेश कुमार, नवनियुक्त सहायक अभियन्ता, **स्थायी पता-** पिता- श्री सूर्यदेव पंडित, ग्राम-रघुनाथपुर, पोस्ट-सैदाबाद, थाना-रानीतालाब, जिला-पटना, पिन कोड-801104(e-mail ID- amresharyan209@gmail.com) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-3317 /पटना, दिनांक-19/05/26

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आई0टी0 मैनेजर को निदेश है कि अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ ही इसकी सी0डी0 तैयार कर निर्गत शाखा को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

19/05/2026

सरकार के अपर सचिव ।